संख्या-30/2018/1177/क0नि0प्र0/26-3-18-13(61)/2013

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ:दिनांक: 18 सितम्बर,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 से उ0प्र0कौशल विकास मिशन के द्वारा अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ कौशल विकास के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-26/2018/677/क0नि0प्र0/26-3-18-13(61)/2013 दिनांक 30 मई,2018 के क्रम में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु रू0 5,00,00,000/- (रू0 पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा आहरित कर मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि केवल अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/उपभोग की सूचना यथा समय कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय। धनराशि के व्यय की कार्यवाही योजना के अनुरूप सुनिश्चित की जाय।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष में जितनी धनराशि की आवश्यकता वास्तविक रूप से हो, उतने का ही आहरण राजकोष से किया जाय। धनराशि आहरित करके बैंक/पी0एल0ए0 में कदापि न रखी जाय।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या–83-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0105-अनुसूचित जाति के युवकों के लाभार्थ विविध प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-30/2018/1177(1)/क0नि0प्र0/26-3-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
5- मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, अलीगंज, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0शासन।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ.प्र. शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।